संख्या-267/2015/2950/नौ-5-15-143बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, छाता (मथुरा) तथा फतेहाबाद (आगरा)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत जल निकासी के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की 02 नागर स्थानीय निकायों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल **₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रं0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	मथुरा	नगर पंचायत, छाता	22.92	20.00	10.00
2.	आगरा	नगर पंचायत, फतेहाबाद	85.24	80.00	40.00
		योग		100.00	50.00

(₹ पचास लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31 मार्च, 2016</u> तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-267/2015/2950(1)/नौ-5-15-143बजट/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, सम्बन्धित नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-267/2015/2950(1)/नौ-5-15-143बजट/2015 दिनांक 04 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा	नगर पंचायत, छाता	1. सामुदायिक केन्द्र से धुलाई प्रेशर की दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	4.50		
			2. श्यामसुन्दर की दुकान से भगतसिंह बिल्डिंग मैटेरियल तक नाला निर्माण कार्य।	4.60		
			3. डायमण्ड पैथोलॉजी लैब से मोहन मिस्त्री की दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	4.60		
			4. इरफान टैम्पो मिस्त्री की दुकान से सतीश प्रोपर्टी डीलर तक नाला निर्माण कार्य।	4.46		
			5. शेर मौहम्मद मीट की दुकान से श्री कृष्णा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तक नाला निर्माण कार्य।	4.76		
			योग	22.92	20.00	10.00
2	आगरा	नगर पंचायत, फतेहाबाद	1. बस स्टैण्ड के पास मकसूद के मकान से डॉ0 विजेन्द्र भार्मा की दुकान तक आगरा रोड पर नाला निर्माण कार्य।	4.96		
			2. अम्बेडकर चौक से कृष्णा स्टील की दुकान तक आगरा शमशाबाद रोड पर नाला निर्माण कार्य।	4.96		
			3. भगवान देवी इन्टर कालेज से प्रेम टेलर्स तक सारंगपुर रोड पर नाला निर्माण कार्य।	4.96		
			4. बैजनाथस से बंगाली नाई तक सारंगपुर रोड पर नाला निर्माण कार्य।	2.83		
			5. अमरीश शर्मा की दुकान से अम्बेडकर चौक न0पं0 फतेहाबाद में आगरा रोड पर नाला निर्माण कार्य।	1.13		
			6. पवन गुप्ता से यादव टी0वी0 सेन्टर हनुमाननगर पुलिया तक शमशाबाद मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	1.70		
			7. प्रेमसिंह आटा चक्की से पुराने नाले तक नं0पं0फतेहाबाद में सारंगपुर मार्ग तक नाला निर्माण कार्य।	2.83		
			8. पुलिया से राममूर्ति पण्डितजी के मकान तक व रामसेवक खयेड वालों के मील की चार दीवार के सहारे स्टेशन मार्ग तक नाला निर्माण कार्य।	2.69		
			9. शिवाजी नगर तिराहे की जलभराव के पास बनी पुलिया से भगता के मकान वाईपास तक नाला निर्माण कार्य।	2.83		
			10. शिवाजी नगर में राकेश पटवा के मकान से बाईपास मार्ग तक नाला निर्माण कार्य।	2.83		
			11.वार्ड नं0 4 में मुन्नालाल के मकान से श्री कृष्ण के मकान तक मार्ग के एक तरु नाला निर्माण कार्य।	4.94		
			12. वार्ड नं0 10 में रामेश्वर दयाल के मकान से जाकिर खान के प्लाट तक मार्ग के एक तरु नाला निर्माण कार्य।	4.94		
			13. वार्ड नं0 10 रोविन ट्रैडर्स (डॉ0 निबोहरे वालों) से बाईपास के तिराहे पर बनी पुलिया तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	4.94		
			14. वार्ड नं0 02 में बाईपास मार्ग पर से धनीराम गुप्ता की ओर मार्ग एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	3.97		
			15. लाला गोपीचन्द की धर्मशाला राजेन्द्र पुजारी के प्लाट तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	3.97		
			16. सरस्वती ज्ञान मन्दिर से तालाब तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	3.97		
			17. वार्ड नं0 12 में बाईपास मार्ग से विजय कुमार की बगीची तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	3.97		
			18. वार्ड नं0 12 सरस्वती ज्ञान मन्दिर से सिब्बू गुर्जर के मकान तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	3.97		
			19. वार्ड नं0 12 चिम्मनलरल की बगीची से तालाब तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	3.97		
			20. वार्ड नं0 9 में नरसी के मकान से मोहन देवी के मकान तक गली के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	4.96		
			21. वार्ड नं0 10 में सारंगपुर रोड से श्री प्रहलाद सिंह के मकान से श्री मुन्नालाल खाँ के मकान तक मार्ग के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	4.96		
			22. वार्ड नं0 9 में कोमल सिंह के मकान से शीला के मकान तक गली के एक तरफ नाला निर्माण कार्य।	4.96		
			योग	85.24	80.00	40.00
			महायोग(1+2)		100.00	50.00

(रू0 पचास लाख मात्र)

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-04/08/2015

प्रेषण संख्या:- 267

आवंटन आदेश संख्या:- 001-267-2015-2950-9-5-15-143B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
2	आगरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 4000000	4000000 4000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पचास लाख

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी